A052-20222023-001-1681827

संख्या-10/2023/31/52-1-2023

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 10 जनवरी, 2023**

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत विभिन्न जनपदो के विभिन्न विकास खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र, ए0एन0एम0 हेल्थ पोस्ट तथा होम्योपैथिक चिकित्सालय आदि की द्वितीय किश्त/द्वितीय किश्त राज्यांश की आंशिक धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के पत्र सं0-3528/अ0सं0क0नि0/पी0एम0जे0वी0के0/धन मॉग-पत्र/2022-23 दिनांक 15.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयांकित परियोजनाओं की द्वितीय किश्त/द्वितीय किश्त राज्यांश की आंशिक धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न तालिका के कॉलम-4 में अंकित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र द्वारा अवमुक्त द्वितीय किश्त केन्द्रांश (कॉलम-11) के सापेक्ष कॉलम-13 में द्वितीय किश्त राज्यांश की आंशिक धनराशि (क्रमांक-1 व 2)/शेष हेतु द्वितीय किश्त राज्यांश की धनराशि अर्थात कुल **रू0 241.275 लाख (रूपये दो करोड़ इक्तालीस लाख सत्ताईस हजार पॉच सौ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के संगत लेखाशीर्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत तथा पुनर्विनियोग **(संलग्न बी0एम0-9)** द्वारा व्यवस्थित धनराशि से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	भा0स0 का पत्र सं0 व दिनांक (द्वितीय किश्त)	कार्यदायी संस्था का नाम	फण्डिंग अनुपात	इकाई	कुल अनुमोदित लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	भा0स0 द्वारा अवमुक्त एस0एन0ए0 में जमा द्वितीय किश्त (के0)	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त/द्वितीय किश्त (के0+रा0)	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित राज्यांश की द्वितीय किश्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सिद्धार्थनगर	विकास खण्ड डुमरियागंज के रसूलपुर एवं विकास खण्ड इटवा के गोविन्दपुर में होम्योपैथिक चिकित्सालय भवन	13/111/2017-एम0एस0डी0पी0-मोमा0 दिनांक 29.03.2019	सी0 एण्ड डी0एस0	60:40	02	17.50	21.00	14.00	0.00	17.50 प्रथम किश्त 17.50 द्वितीय किश्त समर्पित धनराशि रू0 3.50	3.50
2	आजमगढ़	विकास खण्ड सठियांउ में ए0एन0एम0 पोस्ट	3/19(40)/2013-पी0पी0 दिनांक 30.03.2016	सी0 एण्ड डी0एस0	75:25	01	9.29	6.97	2.32	0.00	4.65 प्रथम किश्त 4.64 द्वितीय किश्त समर्पित धनराशि रू0 0.580	0.580
3	कासगंज/ एटा	विकास खण्ड गंजडुडवारा में नगला नियाज अली में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण	13/40/2018-एम0एस0डी0पी0-मोमा0 दिनांक 30.03.2019	सी0 एण्ड डी0एस0	75:25	01	9.29	6.97	2.32	3.48	4.65 प्रथम किश्त	1.16
4	बलरामपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महदेइया	13/42/2017-एम0एस0डी0पी0-मोमा0 दिनांक 28.03.2019	सी0 एण्ड डी0एस0	75:25	01	374.14	280.61	93.53	140.30	187.07 प्रथम किश्त	46.77
5	बलरामपुर	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भगवानपुर शिवपुर	13/42/2017-एम0एस0डी0पी0-मोमा0 दिनांक 28.03.2019	सी0 एण्ड डी0एस0	75:25	01	40.45	30.34	10.11	15.17	20.225 प्रथम किश्त	5.055
6	बिजनौर	विकास खण्ड धमपुर (अल्लाहलपुर) के शेरकोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	13/22/2017-एम0एस0डी0पी0-मोमा0 दिनांक 28.03.2019	सी0 एण्ड डी0एस0	75:25	01	118.95	89.21	29.74	44.60	59.48 प्रथम किश्त	14.87
7	मेरठ	विकास खण्ड मेरठ के प्रा0 स्वास्थय उपकेन्द्र का	13/165/2017-एम0एस0डी0पी0-मोमा0 दिनांक 11.02.2020	सी0 एण्ड डी0एस0	60:40	01	472.00	283.20	188.80	141.60	236.00 प्रथम किश्त	94.40

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तन										
8	लखनऊ	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	3/19(1)/2012-पी0पी0 दिनांक 22.09.2015	सी0 एण्ड डी0एस0	85:15	05	90.00	382.50	67.50	191.25	225.00 प्रथम किश्त	33.75
9	सम्भल	बराही एवं मदलिसमस्तीपुर में नये प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण	13/206/2017एम0एस0डी0पी0-मोमा0 दिनांक 29.03.2019	सी0 एण्ड डी0एस0	75:25	02	91.11	136.67	45.56	34.17	91.12 प्रथम किश्त	11.39
10	सीतापुर	विकास खण्ड महमूदाबाद के अहिबनपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	90/2017 Msdp-Moma 29.03.2019	सी0 एण्ड डी0एस0	60:40	01	149.00	89.40	59.60	44.70	74.50 प्रथम किश्त	29.80
						योग				615.27		**241.275**

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 07.06.2022, 04.11.2022 एवं 10.11.2022 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- प्रश्नगत राज्यांश की धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तत्सम्बन्धी मैचिंग केन्दांश अवमुक्त है।

(3)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व निर्गत किया गया राज्यांश कोषागार से आहरित नहीं किया गया है।

(4)- प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश उपलब्ध है, यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

(5)- प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा **उपरोक्त तालिका के कॉलम-5 में उल्लिखित कार्यदायी संस्था** को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा। भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 की होगी।

(10) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(11) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(12)कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(13) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(14) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(17) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

(18) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

(19) केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम संख्या-I/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

(20) योजनान्तर्गत बाटआउट्स आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(21)- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश **दिनांक 07.06.2022, 04.11.2022 एवं 10.11.2022** में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(22)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(23)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(24)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(25) प्रश्नगत परियोजनाओं की अवमुक्त प्रथम किश्त सम्बन्धित शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8906-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय **संख्या–E-4-379-X-2022-23, दिनांक 09-01-2023** में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-बी0एम0-9 प्रपत्र (छायाप्रति)

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-31(1)/बावन-1-2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र, ए0एन0एम0 हेल्थ पोस्ट तथा होम्योपैथिक चिकित्सालय आदि के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारी को यथावश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
8. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, **उपरोक्त तालिका के कॉलम-5 में उल्लिखित कार्यदायी संस्था** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. **सम्बन्धित जनपदों के** जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in